विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 8 फरवरी, 2022

संख्या एल.एल.आर.–डी.(6)–11/2021–लेज.–हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश अबादी देह (अधिकार–अभिलेख) विधेयक, 2021 (2021 का विधेयक संख्यांक 10) को दिनांक 02–02–2022 को अनुमोदित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है। अतः उपरोक्त विधेयक को वर्ष 2022 के अधिनियम संख्यांक 2 के रूप में अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित राजपत्र (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा,
राजीव भारद्वाज,
प्रधान सचिव (विधि)।

&&&&&&&&&

हिमाचल प्रदेश आबादी देह (अधिकार–अभिलेख) अधिनियम, 2021

धाराओं का क्रम

धारा :

v/;k;&1
ikjfEHkd

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।
2. परिभाषाएं।

v/;k;&2
vf/kdkjh vkj mudh ‘kfDr;k

3. अधिकारी।
4. अधिकारियों का अधीक्षण और नियन्त्रण।

v/;k;&3
lo{k.k] ekufp=.k vkj igpku

5. आबादी देह क्षेत्र की पहचान।
6. सर्वेक्षण और मानचित्रण।

v/;k;&4
LFkk;h vf/kdkj&vfHkys[k vkj mldk r;kj djuk

7. स्थायी अधिकार–अभिलेख।
8. सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी द्वारा जांच।
9. स्थायी अधिकार–अभिलेख तैयार करना।
10. अभिलेख का प्रदर्शन।

11. आक्षेप और विनिश्चय करना।

v/;k;&5
vihy] iqufoyksdu vkj iqujh{k.k

12. अपील।
13. पुनर्विलोकन।
14. वित्तायुक्त द्वारा पुनरीक्षण।

v/;k;&6
vfHkys[k dk vUrj.k

15. जिला कलक्टर को अभिलेख का अन्तरण।
16. राजस्व अधिनियम के अध्याय–4 का लागू होना।
17. राजस्व अधिनियम के अध्याय–8 का लागू होना।

v/;k;&7
foHkktu

18. सर्वेक्षण इकाइयों का विभाजन।
19. विभाजन के विवाद।

v/;k;&8
iqdh.k

20. समन करना।
21. स्थायी अधिकार–अभिलेख में प्रविष्टियों के पक्ष में उपधारणा।
22. अभिलेख में किसी प्रविष्टि द्वारा व्यथित व्यक्तियों द्वारा घोषणात्मक डिक्री के लिए वाद।
23. लेखन त्रुटियों का सुधार।
24. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।
25. कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति।
26. सिविल न्यायालय की अधिकारिता का अपवर्जन।
27. सर्वेक्षण और सीमांकन के प्रयोजनों के लिए अधिकारियों को भूमि, निवास और आवास क्षेत्रों तथा सर्वेक्षण इकाइयों में प्रवेश करने की शक्तियां।
28. सर्वेक्षण निशान और सीमांकन के नाशकरण, गिराने या हटाने के लिए शास्ति।
29. नियम बनाने की शक्ति।

2022 का अधिनियम संख्यांक 2

हिमाचल प्रदेश आबादी देह (अधिकार–अभिलेख) अधिनियम, 2021

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 2 फरवरी, 2022 को यथाअनुमोदित)

राजस्व संपदाओं में आबादी देह क्षेत्र के सांपत्तिक अधिकारों को अभिलिखित करने और उनका समाधान करने तथा उससे सम्बन्धित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए **अधिनियम**।

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

अध्याय–1
प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.**––(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश आबादी देह (अधिकार–अभिलेख) अधिनियम, 2021 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है।

(3) यह तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

2. **परिभाषाएं.**––इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "आबादी देह" से, राजस्व अधिनियम के अधीन तैयार किए गए और अनुरक्षित किए गए अधिकार–अभिलेख में इस रूप में अभिलिखित स्थल, जिसे भू–राजस्व के लिए निर्धारित नहीं किया गया है, अभिप्रेत है;

(ख) "नियत दिन" से, अप्रैल, 2020 का 20वां दिन अभिप्रेत है;

(ग) "सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी" से, इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए अधिसूचित राजस्व अधिनियम के अधीन नायब–तहसीलदार की पंक्ति से अन्यून का कोई राजस्व अधिकारी अभिप्रेत है;

(घ) "सहायक सर्वेक्षण अधिकारी" से, इस अधिनियम के अधीन कार्य करने और कृत्यों का पालन करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(ङ) "मुख्य अभिलेखन और समाधान अधिकारी" से, इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए अधिसूचित, राजस्व अधिनियम के अधीन जिले का कलक्टर अभिप्रेत है;

(च) "आयुक्त" से, इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए अधिसूचित, राजस्व अधिनियम के अधीन मण्डल का आयुक्त अभिप्रेत है;

(छ) "सामान्य क्षेत्र" से, आबादी देह के भीतर किसी समुदाय की सामान्य आवश्यकता, सुविधा या प्रसुविधा के लिए उपयोग में लाया गया कोई क्षेत्र या भवन अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत सड़कें, मार्ग, गलियां, सार्वजनिक पार्क, नालियां सार्वजनिक शौचालय, तालाब और टैंक, कुएं, जल–मार्ग, खेल का मैदान, बस ठहराव या प्रतीक्षालय, सार्वजनिक बैठकों और सभाओं या निवासियों द्वारा किसी ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाए जाने वाले स्थल, और कोई खाली स्थल या प्लॉट, जिस पर किसी व्यक्ति का स्वामित्व या कब्जा न हो, भी हैं, किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसा कोई भवन या क्षेत्र नहीं है जिस पर केन्द्रीय या राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन कोई संस्थान बनाया गया है;

(ज) "वित्तायुक्त" से, इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए अधिसूचित वित्तायुक्त (राजस्व), हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है;

(झ) "सरकार" से, हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(ञ) "अधिसूचना या अधिसूचित" से, राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है;

(ट) "पंचायत" से, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का 4) के अधीन गठित कोई पंचायत अभिप्रेत है;

(ठ) "विहित" से, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ड) "सांपत्तिक अधिकार" से, किसी व्यक्ति, पंचायत, शहरी स्थानीय निकाय, केन्द्रीय या राज्य सरकार, विधिक व्यक्ति या किसी अन्य इकाई के नाम से अभिलिखित स्वामित्व का अधिकार अभिप्रेत है; किन्तु इसके अन्तर्गत अभिधारी, पट्टेदार, बन्धकदार के अधिकार या कोई अन्य अधिकार, जो स्वामित्व प्रदान नहीं करता है, नहीं है;

(ढ) "अभिलेखन और समाधान अधिकारी" से, इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का अनुपालन करने के लिए अधिसूचित उप–मण्डल कलक्टर की पंक्ति से अन्यून कोई राजस्व अधिकारी अभिप्रेत है;

(ण) "राजस्व अधिनियम" से, हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का 6) अभिप्रेत है;

(त) "राजस्व अधिकारी" से, राजस्व अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई राजस्व अधिकारी अभिप्रेत है;

(थ) "धारा" से, इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(द) "सर्वेक्षण अधिकारी" से, इस अधिनियम के अधीन कार्य करने और कृत्यों का पालन करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(ध) "सर्वेक्षण इकाई" से, आबादी देह के भीतर का क्षेत्र, जिसे इस अधिनियम के अधीन कोई सर्वेक्षण संख्या समनुदेशित की गई है, अभिप्रेत है;

(न) "शहरी स्थानीय निकाय" से, क्रमशः हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 12) और हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का 13) के अधीन गठित, नगर निगम, नगर पालिका परिषद् या कोई नगर पंचायत अभिप्रेत है; और

(प) "ग्राम समिति" से, आबादी देह सहित सामान्य प्रयोजनों के लिए पृथक् रखी गई सर्वेक्षण इकाइयों और सामान्य क्षेत्रों के स्वामित्व की पहचान करने के लिए यथा विहित इसकी संरचना सहित सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी द्वारा, यथास्थिति, ग्राम या शहरी स्थानीय निकाय के अधीन क्षेत्र में नामनिर्दिष्ट समिति अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो राजस्व अधिनियम में उनके हैं।

————————

अध्याय–2
अधिकारी और उनकी शक्तियां

3. **अधिकार.**––(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन, इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिसूचित निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात् :–

(क) वित्तायुक्त;
(ख) आयुक्त;
(ग) मुख्य अभिलेखन और समाधान अधिकारी;
(घ) अभिलेखन और समाधान अधिकारी;
(ङ) सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी;
(च) सर्वेक्षण अधिकारी; और
(छ) सहायक सर्वेक्षण अधिकारी।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन, उपधारा (1) के खण्ड (क), (ख), (घ) और (ङ) में वर्णित अधिकारियों की इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित मामलों की बाबत वही शक्तियां होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात्:–

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा उसकी परीक्षा करना;

(ख) दस्तावेजों के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथ–पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(घ) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 123 और 124 के उपबन्धों के अध्यधीन, किसी कार्यालय से कोई सार्वजनिक अभिलेख या दस्तावेज या ऐसे अभिलेख या दस्तावेज की प्रति की अध्यपेक्षा करना; और

(ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा हेतु कमीशन जारी करना।

4. **अधिकारियों का अधीक्षण और नियन्त्रण.**––(1) इस अधिनियम के अधीन समस्त अधिकारियों पर उनके प्रशासनिक कार्यकरण में अधीक्षण और नियन्त्रण वित्तायुक्त में निहित होगा और समस्त ऐसे अधिकारी उसके अधीनस्थ होंगे।

(2) वित्तायुक्त के अधीक्षण और नियन्त्रण के अघ्यधीन, आयुक्त इस अधिनियम के अधीन उसकी अधिकारिता में समस्त अन्य अधिकारियों को नियंत्रित करेगा।

(3) वित्तायुक्त के अधीक्षण और नियन्त्रण के अध्यधीन, मुख्य अभिलेखन और समाधान अधिकारी इस अधिनियम के अधीन अपने जिले में समस्त अन्य अधिकारियों को नियन्त्रित करेगा।

(4) यथा पूर्वोक्त और मुख्य अभिलेखन और समाधान अधिकारी के नियन्त्रण के अध्यधीन, अभिलेखन और समाधान अधिकारी इस अधिनियम के अधीन अपने उप–मण्डल में समस्त अन्य अधिकारियों को नियन्त्रित करेगा।

————————

अध्याय–3
सर्वेक्षण, मानचित्रण और पहचान

5. **आबादी देह क्षेत्र की पहचान.**––सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी जिला, किसी जिला के उप–मण्डल, शहरी स्थानीय निकाय या किसी ग्राम में प्रत्येक सर्वेक्षण इकाई में अधिकारों की पहचान करने,

उसे अभिलिखित करने और उसका समाधान करने के प्रयोजन के लिए किसी आबादी देह को किसी क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

6. सर्वेक्षण और मानचित्रण.––(1) सरकार धारा 5 के अधीन अधिसूचित प्रत्येक क्षेत्र के लिए ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, सर्वेक्षण संचालित करने के लिए कोई सर्वेक्षण अधिकारी और उसकी सहायता हेतु सहायक सर्वेक्षण अधिकारी नियुक्त करेगी।

(2) सरकार ऐसे क्षेत्रों, जिनके किसी आबादी देह के भीतर स्थायी अधिकार–अभिलेख तैयार किए जाने हैं, को अधिसूचित किए जाने पर, आबादी देह की सीमा अवधारित करने, प्रत्येक सर्वेक्षण इकाई का क्षेत्र और आयाम परिभाषित करने, और प्रत्येक ऐसी इकाई को कोई विशिष्ट सर्वेक्षण संख्या समनुदेशित करने के लिए स्वयं या किसी अधिसूचित अभिकरण के माध्यम से ऐसे क्षेत्र का सर्वेक्षण संचालित करवाएगी और मानचित्रण करवाएगी।

(3) क्षेत्र की तैयार की गई सर्वेक्षण रिपोर्टों और नक्शों को सर्वेक्षण इकाइयों में स्थायी अधिकार–अभिलेख तैयार करने के प्रयोजन हेतु सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

————————

अध्याय–4
स्थायी अधिकार–अभिलेख और उसको तैयार करना

7. स्थायी अधिकार–अभिलेख.––(1) प्रत्येक आबादी देह क्षेत्र के लिए स्थायी अधिकार–अभिलेख होगा, जिसमें निम्नलिखित समाविष्ट होंगे, अर्थात्:–

(क) इस अध्याय के अधीन तैयार की गई प्रत्येक सर्वेक्षण इकाई का सांपत्तिक अधिकारों का अभिलेख;

(ख) अध्याय–3 के अधीन आयामों सहित तैयार की गई सर्वेक्षण रिपोर्टें और नक्शे;

(ग) ग्राम समिति की बैठकों की कार्यवाहियों के अभिलेख;

(घ) ऐसे अन्य दस्तावेज, जो विहित या अधिसूचित किए जाएं; और

(ङ) वंश–वृक्ष (सजरा नसब)।

8. सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी द्वारा जांच.––(1) सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी, उसके इस रूप में पदाविहित किए जाने पर, सर्वेक्षण इकाइयों में स्वत्वधारियों के सांपत्तिक अधिकारों की पहचान करने के लिए ग्राम समिति गठित करेगा।

(2) सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी आबादी देह, जिसका स्थायी अधिकार–अभिलेख तैयार किया जाना है, की बाबत क्षेत्र के निवासियों को प्रत्येक सर्वेक्षण इकाई के लिए ऐसा अभिलेख तैयार करने हेतु प्रस्ताव के बारे में विहित रीति में सूचित करेगा।

9. थायी अधिकार– अभिलेख तैयार करना.––(1) सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी, ग्राम समिति के साथ विचार–विमर्श और परामर्श करने और हितबद्ध पक्षकारों को सुनने के पश्चात् नियत दिन पर, संक्षिप्त रीति में और जो विहित की जाए, स्वत्वधारियों की प्रस्तावित प्रविष्टियों और उनके सांपत्तिक अधिकारों तथा स्थायी अधिकार–अभिलेख में सर्वेक्षण इकाई की सीमाओं की प्रविष्टियों को अभिलिखित करेगा।

(2) स्वत्वधारी और उसके सांपत्तिक अधिकारों की प्रविष्टि सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी द्वारा निम्नलिखित के नाम अभिलिखित की जाएगीः–

(क) निर्मित निवास और आवासीय क्षेत्रों, जिसके अन्तर्गत उसके खुले या बंद आंगन हैं, का स्वामी और स्वामी की अन्य खाली भूमि और प्लॉट, जो सामान्य क्षेत्र, दुकानें तथा अन्य स्थापन न हों;

(ख) सामान्य क्षेत्र, खाली भूमि या प्लॉट, जो किसी व्यक्ति के स्वामित्वाधीन न हों, के लिए पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय; और

(ग) उसके स्वामित्वाधीन भूमि या संस्थाओं की बाबत केन्द्रीय, राज्य सरकार, विधिक व्यक्ति या अन्य इकाई।

(3) उपधारा (1) और (2) के अधीन शक्तियों के प्रयोग के संचालन में, यदि कोई सर्वेक्षण इकाई उप–विभाजित पाई जाती है, जो सर्वेक्षण अधिकारी के ध्यान में न आई हो,तो सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी ऐसी प्रत्येक सर्वेक्षण इकाई को कोई विशिष्ट संख्या समनुदेशित करेगा।

(4) इस अधिनियम के अधीन अर्जित अधिकार, स्वामी को हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 (1973 का 8) की धारा 118 या हिमाचल प्रदेश भूमि अंतरण (विनियमन) अधिनियम, 1968 (1969 का 15) के प्रयोजन के लिए किसी कृषक या अनुसूचित जनजाति की हैसियत अर्जित करने का हकदार नहीं बनाएंगे।

10. अभिलेख का प्रदर्शन.––धारा 6 के अधीन तैयार किया गया सर्वेक्षण नक्शा और धारा 9 के अधीन किसी सर्वेक्षण इकाई में स्वत्वधारियों का तैयार किया गया प्रविष्टियों का अभिलेख गांव में या शहरी स्थानीय निकाय के क्षेत्र के भीतर किसी सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा तथा उसकी एक प्रति पंचायत को, गांव के वार्ड सदस्य या शहरी स्थानीय निकाय के निर्वाचित प्रतिनिधि या शहरी स्थानीय निकाय के ऐसे निर्वाचित सदस्यों की अनुपस्थिति में सचिव के माध्यम से, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रदत्त की जाएगी।

11. आक्षेप और विनिश्चय करना.––(1) सर्वेक्षण अभिलेख में किसी सीमा के सीमांकन या किसी सर्वेक्षण इकाई में स्थायी अधिकार–अभिलेख में सांपत्तिक अधिकारों के सम्बन्ध में किसी प्रविष्टि द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति धारा 10 के अधीन अभिलेख को प्रदर्शित करने की तारीख से तीस दिन के भीतर सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी के समक्ष उसके सही होने के सम्बन्ध में आक्षेप फाइल कर सकेगा।

(2) सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी पक्षकारों को सुनने और अभिलेख, यदि कोई हो, का अवलोकन करने के पश्चात् सर्वेक्षण नक्शे में सीमाओं का अनिवार्यतः सही होना दर्ज करेगा तथा सर्वेक्षण इकाई में स्वत्वधारी के रूप में अभिलिखित किए जाने के लिए सही हकदार व्यक्तियों को अभिनिश्चित करेगा और उपधारा (1) के अधीन अवधि के अवसान से साठ दिन के भीतर कारणों को अभिलिखित करके आदेश पारित करेगा।

स्पष्टीकरण.–किसी सर्वेक्षण इकाई में किसी व्यक्ति के सांपत्तिक अधिकारों का अभिलिखित किया जाना स्वामित्व का निश्चयात्मक सबूत नहीं होगा और इस अधिनियम के अधीन अपील या पुनरीक्षण में संशोधनों और परिवर्तनों के या किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा किसी निर्णय और आदेश में इस प्रकार अवधारित अधिकारों के भी अध्यधीन होगा।

(3) यदि उपधारा (1) के अधीन उपबन्धित अवधि के भीतर कोई आक्षेप दाखिल नहीं किया जाता है तो धारा 9 के अधीन स्थायी अधिकार अभिलेख में अभिलिखित कोई प्रविष्टि अंतिम समझी जाएगी।

(4) सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी तत्पश्चात् अन्तिम रूप से तैयार किए गए अभिलेख को विहित रीति में प्रकाशित करेगा जिसमें ऐसा आदेश सम्मिलित होगा जो उपधारा (2) के अधीन पारित किया जा सके।

(5) सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी द्वारा परिनिश्चित स्थायी अधिकार–अभिलेख को उपधारा (2) के अधीन पारित किसी आदेश को किसी अपील, पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण में अपास्त किए जाने, उपान्तरित या पुनरीक्षित किए जाने की दशा में संशोधित या उपान्तरित किया जाएगा।

————————

अध्याय–5
अपील, पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण

12. अपील.––(1) धारा 11 के अधीन सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के पारित किए जाने से तीस दिन के भीतर अभिलेखन और समाधान अधिकारी के समक्ष अपील फाइल कर सकेगा।

(2) अभिलेखन और समाधान अधिकारी हितबद्ध और संभाव्य प्रभावित होने वाले पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात् या तो अपील को मंजूर करेगा या युक्तियुक्त आदेश पारित करके उसे खारिज कर देगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन अभिलेखन और समाधान अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के पारित किए जाने से तीस दिन के भीतर आयुक्त को अपील कर सकेगा जो हितबद्ध और संभाव्य प्रभावित होने वाले पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात् या तो अपील को मंजूर करेगा या युक्तियुक्त आदेश पारित करके उसे खारिज कर देगा।

(4) उपधारा (2) और (3) के अधीन अपीलें, यथास्थिति, अभिलेखन और समाधान अधिकारी और आयुक्त द्वारा नोटिस के पश्चात् प्रत्यर्थी के हाजिर होने की तारीख से साठ दिन के भीतर अभिनिश्चित की जाएंगी या जब तक कारणों को लिखित में अभिलिखित करके अन्यथा निदेशित न किया जाए, एक पक्षीय रूप से उसके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगीः

परन्तु–

(क) यदि प्रथम अपील में मूल आदेश की पुष्टि हो जाती है तो आगे कोई और अपील नहीं की जाएगी;

(ख) यदि अभिलेखन और समाधान अधिकारी द्वारा अपील पर ऐसा कोई आदेश उपान्तरित या प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है तो आगामी अपील पर आयुक्त द्वारा पारित किया गया आदेश, यदि कोई हो, उसके लिए अंतिम होगा।

(5) अपील प्राधिकारी किसी मामले को प्रतिप्रेषित नहीं करेगा, सिवाय जहाँ अभिलेख से यह प्रमाणित हो जाता है कि आवश्यक पक्षकार, जिस पर सम्यक् रूप से तामील नहीं की गई हो, के विरूद्ध प्रतिकूल आदेश पारित किया गया है।

13. पुनर्विलोकन.––जहां अभिलेख को देखते ही कोई गलती या त्रुटि प्रतीत होती है या जहाँ कोई नया या अनिवार्य तथ्य या साक्ष्य पाया जाता है तो सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी, अभिलेखन और समाधान अधिकारी और आयुक्त पुनर्विलोकित किए जाने वाले आदेश के साठ दिन की अवधि के भीतर या तो स्वप्रेरणा से या हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर संभाव्य प्रभावित होने वाले पक्षकार को नोटिस देने और युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् पुनर्विलोकन करेगा और इस प्रकार पुनर्विलोकन से स्वयं या

उसके पद–पूर्ववर्ती द्वारा पारित किसी आदेश को उपान्तरित कर सकेगा, उसे प्रत्यावर्तित कर सकेगा या उसकी पुष्टि कर सकेगाः

परन्तुः–

(क) यदि सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी किसी आदेश का पुनर्विलोकन करना आवश्यक समझता है तो वह प्रथमतः अभिलेखन और समाधान अधिकारी की स्वीकृति अभिप्राप्त करेगा;

(ख) यदि अभिलेखन और समाधान अधिकारी किसी आदेश का पुनर्विलोकन करना आवश्यक समझता है तो वह प्रथमतः मुख्य अभिलेखन और समाधान अधिकारी की स्वीकृति अभिप्राप्त करेगा;

(ग) यदि ऐसा कोई आदेश सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी या अभिलेखन और समाधान अधिकारी द्वारा पुनर्विलोकन पर उपान्तरित या प्रत्यवर्तित किया जाता है तो सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील अभिलेखन और समाधान अधिकारी को की जाएगी और अभिलेखन और समाधान अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील आयुक्त को की जाएगी तथा ऐसी अपील पर पारित किया गया आदेश अंतिम होगा।

(घ) किसी आदेश, जिस के विरूद्ध अपील या पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया है, का पुनर्विलोकन नहीं किया जाएगा; और

(ङ) किसी आदेश का पुनर्विलोकन नामंजूर करने या पुनर्विलोकन की अनुज्ञा प्रदान करने या किसी पूर्ववर्ती आदेश के पुनर्विलोकन पर उसकी पुष्टि करने के किसी आदेश पर कोई अपील नहीं होगी।

(2) किसी आकस्मिक भूल (चूक) या लोप से होने वाली लिपिकीय या गणितीय भूल के सिवाय धारा 14 के अधीन वित्तायुक्त द्वारा पारित किसी आदेश के विरूद्ध इस धारा के अधीन पुनर्विलोकन का कोई आवेदन नहीं किया जाएगा।

14. वत्तायुक्त द्वारा पुनरीक्षण.––वित्तायुक्त, आदेश पारित किए जाने के साठ दिन के भीतर किसी व्यथित पक्षकार के आवेदन पर या स्वप्रेरणा से इस अधिनियम के अधीन पारित किए गए किसी आदेश या की गई कार्यवाही, स्वयं के समाधान के प्रयोजन के लिए, से ऐसे आदेश या कार्यवाहियों की वैधता और औचित्य से सम्बन्धित अभिलेख मंगवा सकेगा और उसकी पड़ताल कर सकेगा और प्रभावित पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात् इससे सम्बन्ध ऐसे आदेश, जो वह उचित समझे, पारित कर सकेगा और इस अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश को उपान्तरित कर सकेगा या उसे प्रत्यावर्तित कर सकेगा या उसकी पुष्टि कर सकेगा।

––––––––––

अध्याय–6
अभिलेख का अन्तरण

15. जिला क्लक्टर को अभिलेख का अन्तरण.––आबादी देह क्षेत्र के स्थायी अधिकार–अभिलेख को तैयार करने और उसे अंतिम रूप देने के पश्चात् इसे सहायक अभिलेखन और समाधान अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा तथा इसे राजस्व अधिनियम के अधीन इसका अनुरक्षण और पुनरीक्षण करने के लिए जिला क्लक्टर को अन्तरित किया जाएगा।

16. राजस्व अधिनियम के अध्याय–4 का लागू होना.––धारा 15 के अधीन अभिलेख के अन्तरण के पश्चात् राजस्व अधिनियम के अध्याय–4 के उपबन्ध ऐसे अभिलेख को यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

17. ाजस्व अधिनियम के अध्याय–8 का लागू होना.––राजस्व अधिनियम के अध्याय 8, तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्ध और समय–समय पर जारी अनुदेश इस अधिनियम की धारा 15 के अधीन अभिलेख के अन्तरण के पश्चात् किसी सर्वेक्षण इकाई या उसके भाग के सीमांकन के लिए यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

————————

अध्याय–7
विभाजन

18. सर्वेक्षण इकाइयों का विभाजन.––आबादी देह में समाविष्ट सर्वेक्षण इकाइयों का विभाजन राजस्व अधिकारी द्वारा स्थायी अधिकार–अभिलेख के अन्तरण के पश्चात् और केवल तभी यदि, सांपत्तिक अधिकार रखने वाले समस्त व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तावित विभाजन को दर्शाते हुए नक्शे सहित समस्त हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विभाजन पुष्ट किया गया है, अनुज्ञात किया जाएगाः

परन्तु राजस्व अधिकारी, सर्वेक्षण इकाई के ऐसे सह–स्वत्वधारियों और अन्य व्यक्तियों की पड़ताल करने (परीक्षण करने) के पश्चात् यदि उसकी राय है कि पर्यवेक्षण इकाई अविभाज्य है या विभाजन असाध्य है और उसके पास अच्छा और पर्याप्त हेतुक है कि क्यों न विभाजन अननुज्ञात किया जाए, अपनी नामंजूरी के आधारों को अभिलिखित करके सर्वेक्षण इकाई के विभाजन को नामंजूर कर सकेगा।

19. विभाजन के विवाद.––किसी विवाद की दशा में सर्वेक्षण इकाई के विभाजन के लिए आवेदन राजस्व अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाएगा और व्यथित पक्षकार विभाजन के लिए सिविल न्यायालय में निवेदन कर सकेगा।

————————

अध्याय–8
प्रकीर्ण

20. समन करना.––(1) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किए गए किसी अधिकारी द्वारा जारी समन की तामील, व्यक्ति, जिस को यह सम्बोधित है, पर व्यक्तिगत रूप से या ऐसा न होने पर–

(क) उसके मान्यता प्राप्त अभिकर्ता पर; या
(ख) प्रायः उसके साथ निवास करने वाले उसके कुटुम्ब के किसी वयस्क सदस्य पर की जाएगी।

(2) व्यक्ति जिस को यह सम्बोधित है, के प्रायिक या अंतिम ज्ञात निवास स्थान पर उसकी एक प्रति चिपकाकर भी तामील करवाया जा सकेगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी यदि निदेशित करे तो समन की तामील उसमें निर्दिष्ट व्यक्ति के नाम पर या तो सेवा की अन्य किसी पद्धति के अतिरिक्त या के प्रतिस्थापन में पत्र में सम्बोधित किए गए व्यक्ति को डाक द्वारा समन भेजते हुए और भारतीय डाक अधिनियम, 1898 (1898 का 6) के अध्याय–6 के अधीन रजिस्ट्रीकृत करके या इस निमित्त सरकार द्वारा अधिसूचित किसी ख्याति प्राप्त कुरियर ऐजैंसी के माध्यम से भी की जा सकेगी।

(4) जब समन किसी पत्र में इस प्रकार अग्रेषित किया जाता है और यह साबित हो जाता है कि पत्र समुचित रूप से सम्बोधित और सम्यक् रूप से डाक द्वारा भेजा गया है और रजिस्ट्रीकृत किया गया है तो इस अधिनियम के अधीन नियुक्त अधिकारी यह उपधारित कर सकेगा कि समन की तामील इसके परिदान करने की अभिस्वीकृति के समय पर कर दी गई हैः

परन्तु यदि समन किसी ऐसे मामले से सम्बन्धित है, जिसमें एक ही हित के व्यक्ति अनेक हैं, उन सभी पर व्यक्तिगत रूप से तामील करना युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य नहीं है, तो वह इन्हें प्रथमतः और यदि इस अधिनियम के अधीन नियुक्त अधिकारी ऐसा निदेशित करे, उन व्यक्तियों, जो इस अधिनियम के अधीन नियुक्त अधिकारी इस निमित्त नामनिर्दिष्ट करे, को उसकी एक प्रति के परिदान द्वारा और अन्य हितबद्ध व्यक्तियों की सूचना के लिए इसकी अन्तर्वस्तु का व्यापक प्रसार वाले दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन द्वारा तामील करवाया जा सकेगा।

(5) समन, इस अधिनियम के अधीन नियुक्त अधिकारी द्वारा लघु संदेश सेवा (एसएमएस), ई–मेल या अन्यथा अन्य इलैक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से दूरभाष नम्बर या अन्यथा ज्ञात या ज्ञात करवाए गए ई–मेल पते पर तामील की जा सकेगीः

परन्तु यदि तामील उपरोक्त किसी पद्धति के माध्यम से करवाई जाती है तो समन के परिदान की प्रिण्टर से छपी हुई प्रति अभिलेख में रखी जाएगी।

(6) इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी द्वारा, जारी किसी नोटिस, उद्घोषणा के आदेश या किसी ऐसे दस्तावेज की प्रति को किसी व्यक्ति पर समन की तामील के लिए इस धारा में उपबन्धित रीति में तामील करवाई जाएगी।

(7) उपधारा (2), (3), (5) या (6) में उपबंधित तामील की कोई पद्धति उपधारा (1) में उपबंधित किसी तामील की पद्धति के अतिरिक्त साथ–साथ अंगीकृत की जा सकेगी।

21. स्थायी अधिकार– अभिलेख में प्रविष्टियों के पक्ष में उपधारणा।––इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार स्थायी अधिकार–अभिलेख में की गई कोई प्रविष्टि तब तक सही उपधारित की जाएगी जब तक कि यह प्रतिकूल साबित न हो जाए या विधिपूर्ण रूप से उसके संबंध में नई प्रविष्टि प्रतिस्थापित न कर दी गई हो।

22. भिलेख में किसी प्रविष्टि द्वारा व्यथित व्यक्तियों द्वारा घोषणात्मक डिक्री के लिए वाद.––यदि कोई व्यक्ति, स्थायी अधिकार–अभिलेख में किसी प्रविष्टि द्वारा किसी अधिकार, जिस पर उसका कब्जा है, के बारे में स्वयं को व्यथित महसूस करता है तो वह विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 (1963 का 47) के अध्याय–6 के अधीन उसके अधिकार की घोषणा के लिए वाद संस्थित कर सकेगा।

23. लेखन त्रुटियों का सुधार.––इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी द्वारा पारित आदेश में लेखन या गणित सम्बन्धी भूल को किसी भी समय सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा या तो स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार के आवेदन पर सुधारा जा सकेगा और ऐसे सुधार की सूचना पक्षकारों और सम्बद्ध अधिकारी को भी इसके कार्यान्वयन हेतु निःशुल्क दी जाएगी।

24. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण.––इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई किसी बात या इस अधिनियम के उपबंधों या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी अभियोजन या विधिक कार्यवाहियां किसी प्राधिकारी या ऐसे अधिकारी के निर्देशों के अधीन कृत्य करने वाले किसी कर्मचारी के विरूद्ध न होंगी।

25. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति.––(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों के असंगत न हों और जो ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए इसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत होंः

परन्तु ऐसा कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके किए जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।

26. सिविल न्यायालय की अधिकारिता का अपवर्जन.––इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय कोई भी सिविल न्यायालय किसी मामले के सम्बन्ध में इस अधिनियम के द्वारा, जिसके अवधारण या निपटान के लिए सरकार या कोई अधिकारी सशक्त है, संस्थित किसी वाद या विनिश्चय या आदेश अभिप्राप्त करने के लिए किए गए आवेदन को ग्रहण नहीं करेगा।

27. सर्वेक्षण और सीमांकन के प्रयोजनों के लिए अधिकारियों को भूमि, निवास और आवास क्षेत्रों तथा सर्वेक्षण इकाइयों में प्रवेश करने की शक्तियां.––इस अधिनियम के अधीन अधिकारियों और उनके आदेशों के अधीन कृत्य करने वाला कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी कर्त्तव्य के निर्वहन में विहित रीति में प्रवेश और भूमि का सर्वेक्षण कर सकेगा और उस पर सर्वेक्षण निशान लगा सकेगा या निर्मित कर सकेगा और उसकी सीमाएं सीमांकित कर सकेगा तथा ऐसे कर्तव्य के उचित पालन के लिए आवश्यक समस्त अन्य ऐसे कृत्य कर सकेगा।

28. सर्वेक्षण निशान और सीमांकन के नाशकरण, गिराने या हटाने के लिए शास्ति.––(1) यदि कोई व्यक्ति विधिपूर्ण रूप से निर्मित या लगाए गए सर्वेक्षण या सीमांकन निशान को जानबूझकर नष्ट करता है, गिराता है या बिना विधिसम्मत प्राधिकार से हटाता है तो अभिलेखन और समाधान अधिकारी द्वारा उसे इस प्रकार नष्ट किए गए, गिराए गए या हटाए गए प्रत्येक निशान के लिए ऐसा जुर्माना, जो दो हजार रुपए से अनधिक हो, और ऐसे कृत्य की पुनरावृत्ति की दशा में प्रत्येक सर्वेक्षण निशान के लिए पांच हजार रुपए से अनधिक जुर्माना, जैसा उस अधिकारी की राय में उसे प्रत्यावर्तित करने के व्यय को पूरा करने और ऐसे व्यक्ति, यदि कोई हो, जिसने नाशकरण, गिराने या हटाने की सूचना दी है, को इनाम देने लिए आवश्यक हो, संदत्त करने के लिए आदेशित किया जा सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन उद्ग्रहणीय जुर्माने की रकम, यदि विहित रीति में संदत्त नहीं की जाती है तो वह राजस्व अधिनियम के अधीन भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूलीय होगी।

(3) इस धारा के अधीन जुर्माने का अधिरोपण भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 434 के अधीन अभियोजन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अपराधी के अभियोजन का वर्जन नहीं होगा।

29. नियम बनाने की शक्ति.––(1) राज्य सरकार राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र विधानसभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल दस दिन से अन्यून अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या दो से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र, जिसमें इसे रखा गया था, के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व विधान सभा उस नियम में कोई परिवर्तन करती है या विनिश्चय करती है कि ऐसा नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह, यथास्थिति, ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या निष्प्रभावी हो जाएगा। तथापि, नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभावी होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

————————